उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः135/ XXIII/2020/04(01)/2020
देहरादूनः दिनॉकः22फरवरी, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा–40 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में विद्यमान नियमों/आदेशों को अधिक्रमित करके उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एव बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2020

2. राजस्व का निर्धारण :–

1.1 जनपदवार दुकानों के व्यवस्थापन हेतु निम्न प्रकार राजस्व को निर्धारित किया जाता है।

क्र० सं०	जनपद का नाम	निर्धारित राजस्व (करोड़ रूपये में)
1	नैनीताल	259
2	उधमसिंहनगर	224
3	अल्मोड़ा	134
4	बागेश्वर	49
5	चम्पावत	47
6	पिथौरागढ़	81
7	हरिद्वार	362
8	देहरादून	561
9	टिहरी	113
10	पौड़ी	129
11	उत्तरकाशी	50
12	रूद्रप्रयाग	48
13	चमोली	78

उपरोक्त तालिका में वर्णित राजस्व जनपदों हेतु मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन का राजस्व होगा। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकानवार राजस्व का निर्धारण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार मदिरा की दुकानों के निर्धारित राजस्व में ही जनपद में नई दुकानों का सृजन भी किया जा सकता है।

1.2 मदिरा की दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारणः–

(क) देशी मदिरा की दुकान हेतु–वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस नियम–1.1 के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के 1 प्रतिशत के बराबर निकटतम रूपये 1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी।

(ख) विदेशी मदिरा की दुकान हेतु– वर्ष 2020–21 हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस नियम–1.1 के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के 1 प्रतिशत के बराबर निकटतम रूपये 1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी।

1.3 मदिरा की दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत डूयटी का निर्धारण :–

उपरोक्त नियम–1.1 के अर्न्तगत दुकानवार निर्धारित कुल राजस्व में से नियम–1.2 के अर्न्तगत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर न्यूनतम प्रत्याभूत डूयूटी निर्धारित की जायेगी।

2. पात्रता :–

देशी/विदेशी मदिरा एव बीयर की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें अग्रलिखित शर्तों के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुरूप होगी।

2.1 आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि के रूप में सम्बन्धित मदिरा दुकान के कुल राजस्व के 2.5 प्रतिशत के बराबर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

कमशः पृष्ठ–2

Scanned with CamScanner

2.2 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ व्यक्तिगत पहचान हेतु प्रपत्र के रूप मे मात्र स्थायी आयकर लेखा संख्या (PAN) तथा आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2.3 आवेदक को आवेदन के साथ जनपद का स्थायी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

2.4 आवेदक को मदिरा की दुकान के कुल राजस्व के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप जी–39 में प्रस्तुत करना होगा।

a) हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की एफ0डी0आर0 जो कि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत हो, स्वीकार की जा सकेगी।

b) यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पति नहीं है तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

C) हैसियत प्रमाण पत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर की राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने हो) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

2.5 मदिरा की दुकान के राजस्व के आधार पर निम्न प्रकार पात्रता निर्धारित की जाती हैः–

a) रू0 02 करोड़ वार्षिक राजस्व तक–सम्बन्धित जनपद जिसमें दुकान स्थित हो, के लिए सम्बन्धित जनपद के स्थायी निवासी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

b) रू0 02 करोड़ से अधिक वार्षिक राजस्व हेतु उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी आवेदन हेतु पात्र होंगें।

नोट– प्रथम चरण में यदि बिन्दु संख्याः 2.5 a के अनुसार किसी मदिरा की दुकान हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त दुकान के दूसरे चरण हेतु पात्रता उत्तराखण्ड राज्य स्वतः मानी जायेगी।

2.6 मदिरा की दुकान हेतु एकल आवेदक के अतिरिक्त अधिकतम दो आवेदक संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं, अर्थात आवेदक, सह आवेदक के साथ आवेदन कर सकता है। इस स्थिति में दोनों आवेदकों की हैसियत जोड़कर, हैसियत की गणना की जा सकती है। आबकारी राजस्व की जिम्मेदारी दोनों ही आवेदकों की सम्मिलित रूप से होगी।

3. मदिरा /बीयर की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण/आवंटन/व्यवस्थापन

3.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 में उन्हीं मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण किया जायेगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में सम्बन्धित दुकान हेतु निर्धारित सम्पूर्ण राजस्व या उससे अधिक पर व्यवस्थापित हुई हो। मदिरा/बीयर दुकान के नवीनीकरण हेतु गत् वर्ष के व्यवस्थापित राजस्व में निम्न प्रकार प्रतिशत वृद्वि कर सम्बन्धित मदिरा दुकान का नवीनीकरण किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः–

a) वित्तीय वर्ष 2020–21 में गतवर्ष 2019–20 के निर्धारित राजस्व तथा अतिरिक्त उठान के राजस्व को जोड़कर उसमें 15 प्रतिशत वृद्वि कर मदिरा/बीयर की दुकानों का राजस्व निर्धारित कर दुकानों का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

b) नवीनीकृत की जाने वाली मदिरा/बीयर की दुकानों की वित्तीय वर्ष 2019–20 की समस्त देयतायें 20/2/2020 तक जमा होनी चाहिए।

c) वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण शुल्क मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित किये गये राजस्व का 05 प्रतिशत नवीनीकरण की प्रक्रिया के समय लिया जायेगा।

d) नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र व शपथ पत्र के साथ नवीनीकरण शुल्क बैंक ड्राफ्ट या चालान के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

e) लाईसेंस प्राधिकारी नवीनीकरण स्वीकृति की सहमति, जॉचोपरान्त निर्गत करेंगे।

f) मदिरा की दुकानों हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी (वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु) नवीनीकरण स्वीकृति के 01 दिवस के भीतर नियमानुसार जमा करनी होगा।

g) मदिरा की दुकानों हेतु निर्धारित प्रथम प्रतिभूति लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी (वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु) नवीनीकरण स्वीकृति के 07 दिवस के भीतर या 31 मार्च से पूर्व जो भी पहले हो जमा करनी होगी।

h) मदिरा की दुकानों हेतु निर्धारित द्वितीय प्रतिभूति लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी (वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु) नवीनीकरण स्वीकृति के 30 दिवस के भीतर या 31 मार्च से पूर्व जो पहले हों जमा करनी होगी।

i) अनुज्ञापी को नवीनीकरण हेतु अपने आधार कार्ड (यदि पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया है) की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी तथा मदिरा की दुकान के कुल राजस्व के 10 प्रतिशत धनराशि के बराबर का हैसियत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में 31 मार्च से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क्रमशःपृष्ठ–3

Scanned with CamScanner

नोटः–वित्तीय वर्ष 2020–21 में उन्हीं मदिरा/बीयर की दुकानों का नवीनीकरण होगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में सम्बन्धित दुकान हेतु निर्धारित सम्पूर्ण राजस्व या उससे अधिक पर व्यवस्थापित हुई हो।

3.2 नियम 3.1 के अनुसार जो मदिरा/बीयर की दुकानें नवीनीकृत नहीं हो पायेंगी, उन मदिरा/बीयर दुकानों को उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित राजस्व पर लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

3.3 जनपदों को आवंटित राजस्व में से नवीनीकृत दुकानों का राजस्व घटा कर शेष राजस्व नव सृजित मदिरा दुकानों, वर्ष 2019–20 में बन्द हुयी मदिरा दुकानों एंव वर्तमान में संचालित दुकानों में राजस्व को बांट कर दुकानों का राजस्व निर्धारित किया जा सकेगा।

3.4 एक आवेदक/सह आवेदक को राज्य में अधिकतम दो मदिरा की दुकानें ही आवंटित की जा सकेंगी। यदि किसी आवेदक को राज्य में उपरोक्तानुसार मदिरा की दुकानें आवंटित हो जाती है, तो वह राज्य की अन्य मदिरा दुकान के आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदक को अधिकतम दो मदिरा दुकानें आवंटित हो जाने पर अन्य मदिरा की दुकान हेतु उसके द्वारा दिया गया आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा। वे अनुज्ञापी जिनके द्वारा अपनी मदिरा दुकान नवीनीकृत करा दी गयी है, वह भी दूसरी दुकान हेतु आवेदन कर सकता है।

3.5 देशी मदिरा की दुकान के आवेदन हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रूपये 30,000/– (तीस हजार) प्रक्रिया शुल्क के रूप में लिया जायेगा। आवेदन शुल्क अप्रतिदेय होगा।

3.6 विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकान के आवेदन हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ रूपये 35,000/– (पैंतीस हजार) प्रक्रिया शुल्क के रूप में लिया जायेगा। आवेदन शुल्क अप्रतिदेय होगा।

3.7 नियम 3.5 व 3.6 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया शुल्क तथा नियम 2.1 के अन्तर्गत निर्धारित धरोहर धनराशि उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी अधिसूचित बैंक/राज्य एंव जिला सहकारी बैंक/अरबन कोऑपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार किये गये बैंक ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से देय होगा।

3.8 केवल निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगें।

3.9 आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रक्रिया शुल्क तथा धरोहर धनराशि से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के स्वीकार्य नहीं होगें।

3.10 नियम 2.4 के अनुसार दी गयी व्यवस्था के क्रम में रू0 02 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा की दुकान हेतु प्रथम चरण के लिए मात्र जनपद का स्थायी निवासी पात्र होगा। प्रथम चरण में व्यवस्थापित न हो पाने वाली रू0 02 करोड से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु द्वितीय चरण के लिए उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी पात्र होगा। रू0 02 करोड़ से अधिक राजस्व वाली मदिरा दुकानों हेतु दोनों ही चरण के लिए उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी पात्र होगा।

3.11 प्रथम चरण में यदि दुकान व्यवस्थापित नहीं होती है तो ऐसी दुकान को आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से जिलाधिकारी द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त कर एक नयी दुकान उसी प्रास्थिति में सृजित कर उक्त दोनों दुकानों का व्यवस्थापन पुनः लाटरी के अगले चरण में कराया जायेगा।

3.12 उपरोक्त दोनों चरणों के उपरान्त भी यदि कोई मदिरा की दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर किसी मदिरा की दुकान लेने के लिए आवेदन करता है, तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित मदिरा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त के अनुसार किया जायेगा।

3.13 उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है, तो मदिरा की दुकान का प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

4– मदिरा की दुकान हेतु निर्धारित औपचारिकताएंः–

आवेदक द्वारा मदिरा की दुकान के आवंटन पश्चात् निम्न निर्धारित औपचारिकताएं उनके सम्मुख निर्धारित दिवसों के भीतर पूर्ण न करने पर उनको आवंटित मदिरा की दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम पर उत्तराखण्ड आबकारी(देशी मदिरा/विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 यथा संशोधित के अर्न्तगत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये गये समस्त राजस्व को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

4.1 आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र– 30 दिवस

4.2 वांछित हैसियत प्रमाण पत्र की मूल प्रति (हैसियत प्रमाण पत्र निर्धारित राजस्व का 10 प्रतिशत होना अनिवार्य है)–07 दिवस

4.3 आवेदक को मदिरा की दुकान के आवंटन पर वाणिज्य कर विभाग में अपना पंजीकरण करना अनिवार्य होगा– 30 दिवस

क्रमशःपृष्ठ–4

Scanned with CamScanner

4.4 आवेदक को आवंटित मदिरा की दुकान का निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क (नियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार) तत्काल आवंटन के समय जमा करना होगा।

4.5 प्रथम प्रतिभूति की धनराशि को नकद 15 दिवस एवं द्वितीय प्रतिभूति नकद अथवा बैक गारण्टी के रूप में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन के 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, प्रथम व द्वितीय प्रतिभूति पृथक– पृथक कुल वार्षिक न्यूनतम गारण्टेड अभिकर के 1/12 भाग के बराबर होगी।

4.6 फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में अग्रिम रूप में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहों में अनुज्ञापियों की देयताओं के विरूद्व समायोजित कर लिया जायेगा।

5. देशी मदिराः–

5.1 देशी मदिरा पर रू0 25/– प्रति ए0एल0 की दर से उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) देय होगी।

5.2 देशी मदिरा की दुकानों में 36 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार शराब या 25 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार शराब की आपूर्ति की जायेगी।

5.3 देशी मदिरा की 36 प्रतिशत v/v तीव्रता पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी रू0 220/– प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित की जायेगी तथा 25 प्रतिशत v/v तीव्रता पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी समानुपातिक आधार पर ली जायेगी।

5.4 मदिरा दुकान की निर्धारित न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी में बिन्दु संख्याः 5.3 के अनुसार निर्धारित प्रति लीटर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि से भाग देकर फुटकर दुकानवार मदिरा की निकासी ब0ली0 में माह में प्राप्त की जा सकेगी।

5.5 देशी मदिरा के अतिरिक्त उठान पर सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) देय होगी।

6 विदेशी मदिराः–

6.1 विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार रहेगीः–

विदेशी मदिरा की भरी बोतलों के मामलें में उत्पाद शुल्क की दर ई0डी0पी0 वार निम्नवत रहेगी।:–

क्र0 सं0	एक्सआसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0(रू0)
1	रू0 50.00 तक	**270**
2	रू0 50.01 से रू0 60.00 तक	**290**
3	रू0 60.01 से रू0 75.00 तक	**315**
4	रू0 75.01 से रू0 95.00 तक	**345**
5	रू0 95.01 से रू0 150.00 तक	**380**
6	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	**425**
7	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	**525**
8	रू0 500.01 से अधिक	**725**

6.2 अन्य मामलों में विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दर रू0 280/– प्रति अल्कोहलिक लीटर (ए.एल) रहेगी।

6.3 विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान हेतु निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार रहेंगीः–

क्र0 सं0	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	एम0जी0डी0 (प्रति बोतल)रू0 में
1	रू0 50.00 तक	137
2	रू0 50.01 से रू0 60.00 तक	142
3	रू0 60.01 से रू0 75.00 तक	158
4	रू0 75.01 से रू0 95.00 तक	176
5	रू0 95.01 से रू0 150.00 तक	199
6	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	225
7	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	283
8	रू0 500.01 से अधिक	480

नोट– अद्धा तथा पौव्वा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः रू0 10/– तथा रू0 20/– की सीमान्तर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड की बोतल, अद्धाएवं पौव्वा पर निर्धारित एम0जी0डी0 की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर समान रखी जायेगी व एक्साईज ड्यूटी की गणना वास्तविक स्लैब के आधार पर की जायेगी। अन्य धारिता की गणना बोतल के समानुपातिक आधार पर होगी।

क्रमशःपृष्ठ–5

Scanned with CamScanner

6.4 विदेशी मदिरा दुकान की निर्धारित न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी में बिन्दु संख्या 6.3 के अनुसार निर्धारित प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि से भाग देकर फुटकर दुकानवार मदिरा की निकासी बोतलों में माहवार प्राप्त की जा सकेगी।

6.5 विदेशी मदिरा की किसी दुकान पर मदिरा के अतिरिक्त उठान पर पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी देय होगी।

6.6 विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान पर निर्धारित शर्तों के अधीन एफ0एल0–5 डी0 लाईसेंसी द्वारा दुकान की चौहददी से लगे परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था हेतु सुविधानुसार एफ0एल0–5 ई0 लाईसेंस लेना होगा। एफ0एल0–5 ई0 की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 40 प्रतिशत के बराबर होगी।

7 प्रदेश में बीयर की दुकानों का सृजन, नवीनीकरण व व्यवस्थापनः–

7.1 राज्य में नवीनीकृत न हो पाने वाली बीयर की समस्त दुकानों का व्यवस्थापन निर्धारित राजस्व पर लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

7.2 प्रदेश में बीयर की समस्त दुकानों पर बीयर के अतिरिक्त वाईन तथा आर0टी0डी0 की बिक्री सील्ड बोतलों में अनुमन्य होगी।

7.3 पूर्व से संचालित बीयर की दुकानों हेतु न्यूनतम राजस्व वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यवस्थापित राजस्व/प्राप्त राजस्व जो अधिक हो निर्धारित होगा। प्रदेश में बीयर की नव सृजित दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क रू0 05 लाख प्रति दुकान नियत किया जाता है।

7.4 वित्तीय वर्ष के मध्य में ऐसे पर्यटक स्थल जिनके 10 कि0मी0 पहुंच मार्ग के अर्न्तगत विदेशी मदिरा व बीयर की दुकान स्थित न हो वहां जनपद के जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार नियम 7.3 में निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क न्यूनतम निर्धारित कर नियम 7.1 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञापन निर्गत कर सकेंगे।

7.5 बीयर की दुकान के आवटन हेतु प्रक्रिया शुल्क रू0 35,000/– निर्धारित किया जाता है।

7.6 सफल आवेदक को बीयॅर दुकान स्वीकृति के समय ही अनुज्ञापन शुल्क जमा करना होगा तथा रू0 01 लाख की प्रतिभूति जो एफ0डी0आर0 के रूप में होगी, (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत हो) व्यवस्थापन के सात दिवस के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

8– बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 की निकासी पर आबकारी अभिकर तथा एसेसमेंट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जायेगीः–

8.1 संदेय उत्पाद शुल्क (एक्साईज ड्यूटी) की दर पांच प्रतिशत (5 प्रतिशतv/v) तक एल्कोहल तीव्रता की बीयर पर (Mild Beer) रू0 42/– प्रति बल्क लीटर, 5 प्रतिशत v/v से अधिक एल्कोहल तीव्रता की बीयर (Strong Beer) एवं वाईन पर रू0 69/– प्रति बल्क लीटर रहेगी। वाईन तथा आर0टी0डी0 पर भी बीयर के समतुल्य आबकारी अभिकर देय होगा।

8.2 बीयर की निकासी पर देय एम0जी0डी0:– बीयर की निकासी पर कोई न्यूनतम गारण्टीड अभिकर नहीं लिया जायेगा।

8.3 बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 की निकासी पर असेसमेन्ट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जायेगीः–

1.	बीयर (एक) बीयर 650 एम0एल0 की 12 बोतल अथवा 325 एम0एल0/330 एम0एल0 की 24 पैक की पेटी	रू0 360
	(दो) 500 एम0एल0 के 24 की पैटी।	रू0 558
2.	वाईन 750 एम0एल0 की 12 बोतल की पैटी।	रू0 360
3.	8 प्रतिशत तक तीव्रता वाली एल्कोहल ब्रेवरेज के 275 एम0एल0 के 24 पैक की पैटी।	रू0 360

नोट– जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय असेसमेन्ट शुल्क की राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे। अन्य धारिता की बीयर, वाईन व अल्कोहलिक ब्रेवेज की बोतलों में एसेसमेन्ट फीस की गणना सम्बन्धित की बोतलों के समानुपातिक आधार पर की जायेगी।

9. प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेंन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा/वाईन की बिक्रीः–

9.1 प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेंन्टल स्टोर में स्थित मदिरा की दुकानों में विदेशी मदिरा की रू0 400 प्रति बोतल ई0डी0पी0 से अधिक ई0डी0पी0 की बोतलों/समुद्रपार से आयातित बीयर/समुद्रपार से आयातित वाईन एवं भारत में बनी वाईन की बिक्री करने की अनुमति दी जायेगी।

9.2 मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में मदिरा की बिक्री का अनुज्ञापन शुल्क रूपये आठ लाख वर्ष या वर्ष के भाग के लिए नियत होगा तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क, अनुज्ञापी द्वारा जमा करने पर अनुज्ञापन स्वतः नवीनीकृत हो जायेगा।

9.3 मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में स्थित मदिरा की दुकानों को निम्न एम0जी0डी0 दर पर एफ0एल0–02 से मदिरा का उठान करना होगा, किसी मॉल्स में अधिकतम 03 मदिरा की दुकानें खोलने पर विचार किया जायेगाः–

क्र0स0	एक्स आसवनी का मूल्य	एम0जी0डी0 की दर प्रति
1	रू0 400.01 से रू0 500.00 तक	585
2	रू0 500.1 से अधिक	720

Scanned with CamScanner

9.4 समुद्रपार से आयातित बीयर/वाईन पर शुल्क (एसेसमेन्ट शुल्क) एफ0एल0-05 डी0 के समान देय होंगे।

9.5 अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट शुल्क प्रति बोतल (750 एम0एल0) रू0 25 तथा बीयर पर प्रति बोतल (650 एम0एल0) रू0 15 आरोपित किया जाता है। अन्य धारिता की बोतलों पर परमिट शुल्क की गणना उपरोक्तानुसार समानुपातिक आधार पर की जायेगी।

9.6 वर्तमान में कार्यरत उन्हीं डिपार्टमेंटल स्टोर का वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, जिनका गत वित्तीय वर्ष (2019-20) में मदिरा के अतिरिक्त अन्य पदार्थो की बिक्री का टर्नओवर रू0 50.00 (पचास) लाख रहा है।

9.7 नये डिपार्टमेन्टल स्टोर हेतु मदिरा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की बिकी के टर्नओवर का जी0एस0टी0 सर्टिफिकेट रू0 60.00 (साठ) लाख का प्रस्तुत किया जायेगा।

10- मदिरा दुकानों से मदिरा/बीयर की बिकी की समय अवधिः-

10.1 राज्य में देशी/विदेशी/बीयर की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10.00 से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा। नगर निगम क्षेत्र की मदिरा दुकाने रात्रि 11.00 बजे तक खोली जा सकती है।

10.2 जनपद हरिद्वार, पौडी गढ़वाल, देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर की सीमाओं पर स्थित ऐसी मदिरा की दुकानें जो दूसरे राज्य के सीमा से 10 कि0मी0 के भीतर अवस्थित हो, के बन्द होने का अधिकतम समय रात्रि 11.00 बजे तक रहेगा।

11- मदिरा के अवशेष स्टॉक के निस्तारण के सम्बन्ध में:-

11.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि पर मदिरा को फुटकर दुकानों पर अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण आपसी सहमति के आधार पर नये अनुज्ञापी को हस्तान्तरित हो सकता है, परून्तु नये अनुज्ञापी को देय एम0जी0डी0 व अन्य राजस्व जमा करना होगा, जो माह में तय एम0एम0जी0डी0 में सम्मिलित होगा।

11.2 यदि नया अनुज्ञापी नियम 11.1 के अनुसार अवशेष स्टॉक को हस्तान्तरित नहीं करना चाहता, तो अवशेष स्टॉक का निस्तारण उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 (यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

11.3 वित्तीय वर्ष 2019-20 में नवीनीकृत की जाने वाली मदिरा की दुकानें में वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर अवशेष व अविकृत स्टॉक को अनुज्ञापी वित्तीय वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा में दस रूपये प्रति बोतल व विदेशी मदिरा में बीस रूपये प्रति बोतल एवं बीयर में पाँच रूपये प्रति बोतल जमा कर बेच सकेगा। यह मदिरा संबंधित अनुज्ञापी के वार्षिक निर्धारित न्यतनतम गारण्टेड अभिकर एम0जी0डी0 के अतिरिक्त होगी।

12- मदिरा का विक्रय मूल्यः-

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु मदिरा के विक्रय मूल्य के परिपेक्ष्य में आवंछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितो को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

12.1 विदेशी मदिरा, बीयर व वाईन/आर0टी0डी0:-

विदेशी मदिरा, बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निम्न सूत्र से निर्धारित किया जायेगाः-

क्र0 स0	विवरण
1	ई0डी0पी0 (नियम 12.4 के कम में आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत)
2	निर्यात शुल्क (निर्यातक इकाई के राज्य में प्रभावी)
3	आयात शुल्क (विदेशी मदिरा में रू0 10 प्रति 750 एम0एल0 (01 बोतल= 02 अद्धा = 04 पौव्वा) तथा बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 में रू0 05 प्रति 650 एम0एल0 की दर से) अन्य धारिता में समानुपातिक आधार पर लिया जायेगा।
4	बाण्ड व्यय रू0 50 प्रति पेटी
5	उत्पाद शुल्क (नियम 6.1 में ई0डी0पी0 वार निर्धारित)
	योग
6	वाणिज्य कर (20 प्रतिशत
	योग
7	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम-2015 की धारा-03 की उपधारा 1, खण्ड 'ख' के कम में लागू)
8	होलोग्राम/ट्रैस एण्ड ट्रैक शुल्क
9	एल0एल0-2 पर लागत मूल्य
10	टी0सी0एस0
11	एम0जी0डी0/ऐसेस्मेन्ट फीस (एम0जी0डी0 नियम 6.3 में ई0डी0पी0 वार तथा ऐसेस्मेन्ट फीस नियम 8. 3 के अनुसार)

क्रमशः-7

Scanned with CamScanner

12	लागत मूल्य
13	फुटकर विक्रेता का लाभांश (विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एंव बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 पर 15 प्रतिशत लागत मूल्य का) of 12th point
14	अधिकतम बिक्री मूल्य रू0 10 के गुणांक मे यदि नहीं आता है, तो उस 10 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी।

12.2 देशी मदिराः–

देशी मदिरा का मूल्य निम्न सूत्र के आधार पर निर्धारित किया जायेगाः–

क्र0 स0	मद
1	शासन द्वारा स्वीकृत आपूर्ति दर
2	उत्पाद शुल्क (नियम 5.1 क अनुसार)
3	योग (1+2)
4	वाणिज्य कर @ 10 %
5	योग (3+4)
6	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम–2015 की धारा–03 की उपधारा 1, खण्ड 'ख'के क्रम में लागू)
7	योग (5+6)
8	न्यूनतम गाण्टीड अभिकर (नियम 5.3 के अनुसार)
9	योग (7+8)
10	लाभांश @ 20 % of 9th point
11	देशी मदिरा का फुटकर मूल्य (रू0 5 के गुणांक में) रू0 05 के गुणांक में यदि अधिकतम फुटकर मूल्य नहीं आता है, तो उसे 05 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी।

12.3 प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा एव बीयॅर की दुकानों से मदिरा की बिक्री पर विक्रेता द्वारा क्रेता को कम्प्यूटर जनित रसीद दी जायेगी एवं दुकानों में स्वैप मशीन भी रखनी अनिवार्य होगी। दुकान पर स्वैप मशीन न रखने एवं बिल न दिये जाने पर न्यूनतम रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये) प्रशमन/शास्ति आरोपित की जायेगी।

12.4 विदेशी मदिरा/बीयॅर/स्कॉच इत्यादि की निर्माता इकाईयों या जिनको आपूर्ति के विधिक अधिकार प्राप्त हो, के द्वारा दिल्ली राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस या अन्य राज्यों में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस ही उत्तराखण्ड राज्य मे बिक्री हेतु अनुमन्य होंगे। आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई0डी0पी0 दिल्ली या अन्य राज्यों में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई0डी0पी0 से अधिक नहीं रखी जा सकेगी।

यदि राज्यान्तर्गत मदिरा निर्माताओं द्वारा कतिपय ब्राण्डों की बिक्री केवल उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही है, तो इकाई द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, कि उक्त ब्राण्डों को यदि अन्य राज्यों में बेचा जायेगा। तो उनकी ई0डी0पी0 उत्तराखण्ड राज्य से कम नही रखी जायेगी।

ओवरसीज लिकर की ई0डी0पी0 एक्स–कस्टम बॉण्ड मूल्य मानी जायेगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि घोषित एक्स कस्टम दर देश में सबसे न्यूनतम हो और इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

प्रत्येक आपूर्तक को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री किये जाने हेतु प्रस्तुत ब्राण्डस की ई0डी0पी दिल्ली राज्य से अधिक नहीं है, यदि दिल्ली राज्य में बिक्री न की जा रही हो तो निकटवर्ती राज्यों से उत्तराखण्ड में ई0डी0पी0 अधिक न होने का उल्लेख करना होगा। स्थानीय निर्माताओं द्वारा केवल उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री किये जा रहे ब्राण्डस हेतु उल्लेख करना होगा कि उक्त ब्राण्डों को यदि अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई0डी0पी0 उत्तराखण्ड राज्य से कम नहीं रखी जायेंगी।

वित्तीय वर्ष के मध्य में मात्र एक बार ई0डी0पी0 में परिवर्तन की अनुमति उपरोक्त शर्तों के अर्न्तगत दी जायेगी।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गयी या किसी कस्टम बाण्ड में सम्बन्धित ओवरसीज ब्राण्ड की एक्स कस्टम दरें कम है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा अधिक वसूल की गयी ई0डी0पी0 भी जमा करवाई जायेगी के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ–8

Scanned with CamScanner

12.5 प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा/बियर की दुकानों पर शिकायत/निरीक्षण के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य (एम0आर0पी0) से अधिक की बिक्री किये/पाये जाने पर निम्न दण्ड आरोपित किया जायेगाः–

1. प्रथम उल्लघंन पर पच्चास हजार रूपये (50,000 रूपये) प्रशमन शुल्क/शास्ति आरोपित की जायेगी।
2. द्वितीय उल्लघंन पर पिच्चत्तर हजार रूपये (75,000 रूपये) प्रशमन शुल्क/शास्ति आरोपित की जायेगी।
3. तृतीय उल्लघंन पर एक लाख रूपये (1,00,000 रूपये) प्रशमन शुल्क/शास्ति आरोपित की जायेगी।
4. चौथे उल्लघंन पर सम्बन्धित दुकान का अनुज्ञापन स्वतः निरस्त हो जायेगा, उक्त अनुज्ञापी को काली सूची में डाला जायेगा तथा सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

13– बार अनुज्ञापियों की लाईसेंस फीस का निर्धारणः–

13.1 होटल बार लाईसेंस (एफ0एल0–6(सम्मिश्र) बार) की लाईसेंस फीस बीस कमरों तक रू0 03 लाख व बीस कमरों से अधिक की बार लाईसेंस फीस रू0 5.00 लाख की जाती है।

13.2 गढ़वाल मण्डल विकास निगम एंव कुमाऊ मण्डल विकास निगम या कोई अन्य सरकारी संस्था/सरकारी कम्पनी के द्वारा एफ0एल0–06 (समिश्र) बार अनुज्ञापन संचालन हेतु (Out Source करने पर भी) अनुज्ञापन शुल्क में निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य रहेगी।

13.3 होटल बार अनुज्ञापनों को, कमरों में मिनी बार की सुविधा अनुज्ञापी के आवेदन करने पर दी जायेगी तथा रू0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) अनुज्ञापन शुल्क लिया जायेगा।

13.4 रेस्त्रां बार/क्लब बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती हैः–

क्र0 स0	बार का प्रकार	लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग हेतु (रू0 में)
1.	रेस्टोरेन्ट बार	रू0 03 लाख
2.	बीयर बार	रू0 1.30 लाख
3.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम एंव कुमाऊ मण्डल विकास निगम या कोई अन्य सरकारी संस्था/सरकारी कम्पनी को एफ0एल0–07 बार अनुज्ञापन शुल्क	उपरोक्त निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
4.	क्लब बार (1)क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए) (2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए) (3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए) (4) राजकीय कार्मिकों हेतु प्रदत्त क्लब बार अनुज्ञापन (5) प्रेस क्लब हेतु	 रू0 01 लाख रू0 02 लाख रू0 03 लाख रू0 25 हजार रू0 25 हजार

नोट– आगामी वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकृत होने वाले बार अनुज्ञापनों को तीन वर्ष के लिये एकमुश्त अनुज्ञापन शुल्क जमा कर नवीनीकृत किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में 10 प्रतिशत् की छूट अनुज्ञापन शुल्क पर देय होगी। नये बार अनुज्ञापन स्वीकृत होने पर नये बार अनुज्ञापनों को तीन वर्ष का अनुज्ञापन शुल्क एकमुश्त जमा करना होगा, उसके सापेक्ष तीन वर्ष हेतु बार अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा, परन्तु नवीन बार अनुज्ञापनों को अनुज्ञापन शुल्क में 10 प्रतिशत् की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

13.5 ओकेजनल बार परमिट (प्रतिदिन):–

4.	वैडिंग प्वाइन्ट/होटल (जिनमें वैड़िग हॉल हो	रू0 5 हजार मात्र
5.	निजी स्थान पर व्यक्तिगत् समारोह हेतु	रू0 02 हजार मात्र
6.	रेस्टोरेन्ट/क्लब (वाणिज्कि प्रयोजन हेतु) नहीं दिया जायेगा।	

13.6 निजी स्थान पर व्यक्तिगत समारोह हेतु प्रयोजन को छोड़कर अन्य ओकेजनल पर परमिट हेतु समारोह में मदिरा परोसने हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस रू0 5000/– (पांच हजार) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी।

13.7 निजी स्थान पर व्यक्तिगत् समारोह हेतु सम्बन्धित आवेदक निकटवर्ती मदिरा की फुटकर दुकान में रू0 2000/– अनुज्ञापन शुल्क जमा कर अनुज्ञापी से रसीद प्राप्त करेगा। उक्त रसीद एक दिवस हेतु बार अनुज्ञापन हेतु अनुमति होगी, को वह जांच के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को दिखायेगा। सम्बन्धित अनुज्ञापी अगले कार्य दिवस में उक्त धनराशि को कोषागार में जमा कर, चालान जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में मय विवरण उपलब्ध करायेगा।

13.8 यदि कोई एफ0एल0–11 परमिट धारक नियमों का उल्लघंन करता है, तो उसके विरूद्व आबकारी अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा भविष्य में उसे एफ0एल0–11 परमिट नहीं दिया जायेगा।

क्रमशःपृष्ठ–9

Scanned with CamScanner

13.9 बार से बिक्री की जाने वाली मदिरा के पैग की धारिता 30 एम0एल0 व 60 एम0एल0 निधारित की जाती है।

14. बार एवं क्लब बार लाईसेंस के अन्तर्गत निकासीः–

14.1 बारों को मदिरा की आपूर्ति जनपद में स्थित एफ0एल0–05 डी/एफ0एल0–05 डी (एस)/एफ0एल0–05 डी (एम) दुकानों से की जायेगी। दुकानों से बारों हेतु एफ0एल0–36 पास जारी करने का अधिकार सम्बन्धित अनुज्ञापी को होगा। यदि सम्बन्धित जनपद में मांग के अनुसार मदिरा के ब्राण्ड उपलब्ध न हो तो आबकारी आयुक्त की अनुमति से अन्य जनपदों की फुटकर मदिरा दुकानों से मदिरा प्राप्त की जा सकेगी।

14.2 बार में वाईन ग्लास में परोसी जा सकती है। लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ग्लास में परोसी जाने वाली वाईन को फ्रिज में रखा गया हो तथा उसका उपभोग एक दिवस में कर लिया जाये। यदि किसी कारणवशः एक दिवस में उपभोग सम्भव न हो तो अवशेष वाईन को प्रयोग में नहीं लाया जायेगा तथा नष्ट कर दिया जायेगा।

15– होटलों एवं रेस्त्रां बारों के अनुज्ञापनों के लिये आवेदकों की अर्हताः–

15.1 बार अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदक को तत्सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप, शर्तें पूर्ण करनी होगी।

15.2 एफ0एल0–6 (समिश्र)/7/7ए/7बी/7सी के बार आवेदन हेतु आवेदक को रू0 50 हजार बैंक ड्राफ्ट के रूप में आवेदन शुल्क जो आबकारी आयुक्त के नाम प्रतिश्रुत हो जमा करना होगा तथा बार अनुज्ञापन जारी होने पर रू0 50 हजार का बैक ड्राफ्ट आवेदन प्रकिया शुल्क के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा, जो लाईसेंस फीस के अतिरिक्त होगा।

15.3 एफ0एल0–6 (समिश्र)/7/7ए/7बी/7सी के बार अनुज्ञापन तत्समय प्रचलित नियमों एवं शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे :–

जिलाधिकारी –	अध्यक्ष।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक–	सदस्य।
जिला पर्यटन अधिकारी –	सदस्य।
जिला आबकारी अधिकारी –	सदस्य/सचिव।

उपरोक्त हेतु शासन या आबकारी आयुक्त की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

16 सीजनल बार/बीयर एवं वाईन बार लाईसेंसः–

16.1 सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाइसेंस नियम –15.3 में गठित समिति की अनुशंसा पर दिये जा सकेंगें।

16.2 उक्त अनुज्ञापन समिति प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श कर स्थानीय/पर्यटन आवश्यकताओं के अर्न्तगत माननीय न्यायालय द्वारा अनुज्ञापनों की स्थिति के सम्बन्ध में पारित निर्णयों तथा स्थिति के सम्बन्ध में प्रख्यापित नियमावली के अर्न्तगत निर्णय लेगी।

16.3 सीजनल बार हेतु समिति मुख्यतः बार की स्थिति, शान्ति व्यवस्था होटल/रेस्टोरेन्ट की पात्रता/भोजन का स्तर, पार्किग की व्यवस्था, बार कक्ष में 20 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था तथा पुरूषों व महिलाओ हेतु अलग–अलग टॉयलेट की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्णय लेगी।

16.4 उक्त बारों को मदिरा की आपूर्ति निकटतम एफ0एल0–05 द्वारा की जायेगी, जिसका निर्धारण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा मदिरा परिवहन पास अनुज्ञापी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा जारी किया जायेगा एवं सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

16.5 उक्त उल्लिखित रेस्टोरेन्ट बार जिसमें मदिरा व बीयॅर/वाईन परोसी जा सके का अनुज्ञापन शुल्क रू0 03 लाख प्रति छः माह हेतु एवं रेस्टोरेन्ट बार जिनमें केवल बीयर व वाईन परोसी जा सके का अनुज्ञापन शुल्क रू0 01 लाख होगा।

17– मद्यनिषेध क्षेत्रों में बार की स्वीकृति के सम्बन्ध मेः–

प्रदेश में प्रतिबन्धित व अधिसूचित स्थलों में कोई बार का अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

18.– सैन्य कैटीनों द्वारा बिक्री पर एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी तथा असेस्मेंट फीस की दरें:–

18.1 एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए रू0 25000/– अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

क्रमशः पृष्ठ–10

Scanned with CamScanner

18.2 एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

18.2(a) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार ई0डी0पी0 मूल्य (प्रति बोतल) वार निर्धारित की जायेगी:–

क0 सं0	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0 (रू0 में)
1	रू0 50.00 तक	270
2	रू0 50.01 से रू0 60.00 तक	290
3	रू0 60.01 से रू0 75.00 तक	315
4	रू0 75.01 से रू0 95.00 तक	345
5	रू0 95.01 से रू0 150.00 तक	380
6	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	425
7	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	525
8	रू0 500.01 से अधिक	725

18.2(b) रियायती रम पर उत्पाद शुल्क रू0 83.00 ए0एल0 देय होगा।

18.2(c) एल0एल0–9 अनुज्ञापन के अन्तर्गत बीयर/(आर0टी0डी0) एवं वाईन की बिक्री पर अभिकर की धनराशि एफ0एल0–5डी/5बी के समान देय होगी।

18.3 एसेस्मेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क0 सं0	मदिरा का प्रकार	असेस्मेट फीस (प्रति बोतल)
1	विदेशी मदिरा (रम, बीयर को छोड़कर) (1) ई0डी0पी0 रू0 100 तक	रू0 120.00
	(2) ई0डी0पी0 रू0 100 से अधिक	रू0 175.00
2	रियायती रम	रू0 70.00
3	बीयर/वाईन/ब्रीजर (आर0टी0डी0)	एफ0एल0–5डी के समान दर।
4	भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व अद्धसैनिकों हेतु असेस्मेंट फीस (प्रति बोतल) दरें निम्न प्रकार होगी:–	
	(क) विदेशी मदिरा (रम, बीयर को छोड़कर):–	
	(1) ई0डी0पी0 रू0 100 तक	रू0 100.00
	(2) ई0डी0पी0 रू0 100 से अधिक	रू0 155.00
	(ख) रियायती रम	रू0 55.00
	(ग) बीयर/वाईन/ब्रीजर	एफ0एल0–5डी के दर से प्रति पेटी 10 रूपये कम रहेगी।

18.4 राज्य में स्थित समस्त अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत/भूतपूर्व अर्द्धसैनिकों को एफ0एल0–9/9ए अनुज्ञापन की सुविधा अनुमन्य होगी।

18.5 एफ0एल0–9 अनुज्ञापन के अन्तर्गत बियर/ब्रीजर एवं वाईन पर अभिकर की धनराशि एफ0एल0–5 डी/5बी के समान देय होगी।

18.6 ड्राउट बियर की अनुमति बारों/सैन्य कैन्टीनों में पूर्ववत दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सी0एस0डी0 के माध्यम से सैन्य कैन्टीनों द्वारा 500 एम0एल0 धारिता में केन बियर की बिक्री की जा सकेगी।

19– राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माताओं के उत्पादों की थोक बिक्री:–

19.1 राज्य से बाहर के विदेशी मदिरा निर्माता अथवा उनके अधिकृत विक्रेता या ऐसी इकाई जिसको सम्बन्धित ब्राण्ड के भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/स्कॉच/आर0टी0डी0 इत्यादि के ब्राण्डस उत्तराखण्ड स्थित अपने बॉण्ड अनुज्ञापनों एवं जनपद स्थित थोक अनुज्ञापनों (एफ0एल0–2) के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे।

19.2 बॉण्ड अनुज्ञापनों/एफ0एल0–1 अनुज्ञापनों की लाईसेंस फीस का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा:–

क0 स0	अनुज्ञापन	अनुज्ञापन शुल्क
1.	बी0डब्लयू0एफ0एल0–2	रू0 10 लाख न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 20/– निर्धारित की जाती है।
2.	बी0डब्लयू0एफ0एल0–2बी	रू0 10 लाख न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 20/– निर्धारित की जाती है।

क्रमशः ...

Scanned with CamScanner

3.	बी0डब्लयू0एफ0एल0–2बी0आई0 (केवल विदेशी आयातित बीयर के लिए)/बी0 बी0डब्लयू0एफ0एल0–2 एस0(केवल स्कॉच के लिए) अनुज्ञापन शुल्क	रू0 01 लाख न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 150/– निर्धारित की जाती है।
4	बी0डब्लयू0एफ0एल0–2 डब्लू	रू0 01 लाख निर्धारित की जाती है।
5.	एफ0एल0–1 लाईसेंस फीस	रू0 05 लाख न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 10/– निर्धारित की जाती है।

19.3 राज्य से बाहर के विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 के निर्माताओं को बी0डब्लू0एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू/2बी (आई) की सामान्य लाईसेंस फीस के अतिरिक्त अपनी एक से अधिक यूनिटस की मदिरा/बीयर आयात किये जाने पर प्रति यूनिट से मदिरा आयात किये जाने हेतु अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में बी0डब्लू0एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू इत्यादि की न्यूनतम लाईसेंस फीस के 25 प्रतिशत अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में जमा करना होगा। ऐसे निर्माता स्वयं की कई यूनिट्स की मदिरा आयात किये जाने हेतु एक ही बाण्ड अनुज्ञापन रख सकेंगे।

19.4 बॉण्ड अनुज्ञापन हेतु निर्धारित प्रतिभूति की धनराशि रू0 05 लाख रहेगी।

20– विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन के थोक (एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू/2बी (आई)) अनुज्ञापनः–

20.1 एफ0एल0–2बी/2एस/2डब्लू/एफ0एल0–2बी आई अनुज्ञापन विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच के निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता अथवा ब्रॉण्ड के मालिकाना हक वाली इकाईयों को केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

20.2 निर्माता से आशय निर्माता कम्पनी से होगा। ऐसी भारतीय इकाईयों जो आयातित ब्राण्डस की स्कॉच व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन, बीयर,वाईन, वोदका इत्यादि की बॉटलिंग भारत में करती है तथा जिन्हें भारत में उक्त की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है अथवा जिन्हें विदेश में निर्मित/बॉटलड विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/स्कॉच को भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त हैं, इन्हें ऐसे ब्राण्डस का निर्माता माना जायेगा। तद्नुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।

20.3 राज्य में थोक विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/स्कॉच के अनुज्ञापन (एल0एल0–2 अनुज्ञापन) हेतु रूपये 12 लाख, एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन के लिए रूपये 10 लाख, एफ0एल0–2 एस0/एफ0एल0–2 डब्ल्यू0/एफ0एल0–2बी (आई0) अनुज्ञापन के लिए रूपये 03 लाख रजिस्ट्रेशन फीस देय होगी।

नोट– प्रतिबंध यह है कि 12,500 पेटी तक बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस केवल रूपये 02 लाख देय होगी एवं 2,500 पेटी तक की बिक्री के लिए रूपये 01 लाख देय होगी।

20.4 विधिवत रूप से अधिकृत विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञापन से सम्बन्धित कृत समस्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित निर्माता इकाई उत्तरदायी होगी तथा अधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधि द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य निर्माता इकाई द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा।

20.5 विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/स्कॉच के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2 अनुज्ञापन) हेतु निर्धारित प्रतिभूति की धनराशि रू0 01 लाख होगी।

20.6 थोक अनुज्ञापनों पर संचित मदिरा के निस्तारण के सम्बन्ध में:– विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों का नवीनीकरण न होने की स्थिति में अनुज्ञापनों के परिसर पर संचित मदिरा को आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से निम्न समिति द्वारा नष्ट करने की कार्यवाही की जायेगी एवं उस पर आने वाले व्यय को सम्बन्धित अनुज्ञापी की प्रतिभूति से वसूला जायेगाः–

4. मण्डलीय संयुक्त आबकारी आयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, परिक्षेत्र– अध्यक्ष।
5. सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी– सदस्य/सचिव।
6. जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी– सदस्य।

21–राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री हेतु शुल्क का निर्धारणः–

21.1 राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु न्यूनतम रू0 12 लाख के अधीन रहते हुए रू0 2.5 प्रति बल्क लीटर अनुज्ञापन शुल्क देय होगा। आपूर्तक आसवनी को अपने ब्राण्डस का पंजीयन कराना होगा, इस हेतु पंजीयन शुल्क प्रति ब्राण्ड रू0 04 लाख मात्र निर्धारित किया जाता है।

21.2 देशी मदिरा की सुलभ आपूर्ति हेतु देशी मदिरा के निर्माताओं को आवश्यकतानुसार आपूर्ति के क्षेत्र के आवंटन का निर्णय प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर उच्चानुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

21.3 देशी मदिरा का उत्पादन केवल ई0एन0ए0 से किया जाएगा। ई0एन0ए0 क्रय कर देशी मदिरा भराई की अनुमति केवल सहकारी संस्था या उनके द्वारा संचालित आसवनी को अपरिहार्य स्थिति में दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

22– आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में:–

आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जाती है:–

22.1 पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिये इस प्रतिबन्ध के साथ अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा कि शीरे की व्यवस्था आवेदक इकाई स्वंय करगी। ग्रेनबेस्ड आसवनी को पेय मदिरा का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा।

22.2 बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, माईक्रो पब ब्रुवरी, विन्टरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु सुसंगत आबकारी नीति/नियमावली के अधीन अनुज्ञापन जारी किये जायेगें।

22.3 आसवनी, ब्रुवरी, विन्टनरी/वाईनरी की स्थापना हेतु अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण निम्नवत रहेगा–

22.3(a) पी0डी0–33 (आसवनी की स्थापना) अनुज्ञापन हेतु रू0 05 लाख, बी–20 (ब्रुवरी की स्थापना) अनुज्ञापन हेतु रू0 03 लाख, एफ0एल0एम0–2 (विदेशी मदिरा के बॉटलिंग प्लान्ट स्थापना हेतु) अनुज्ञापन हेतु रूपये 04 लाख एवं वी–1 (विन्टनरी की स्थापना हेतु) अनुज्ञापन हेतु रू0 5 हजार अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

22.3(b)नियम 22.3a के अन्तर्गत उल्लिखित अनुज्ञापनों द्वार निर्धारित समय के अन्तर्गत यदि इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा अनुज्ञापन की समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो नियम 22.3aके अन्तर्गत निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क प्रतिवर्ष दोगुना हो जायेगा।

22.3(c)विदेशी मदिरा के बॉटलिंग प्लाण्ट सम्बन्धित एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन के नवीनीकरण में भी नियम–22.3a के अनुसार निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का दोगुना शुल्क देय होगा।

23–आसवनी/ब्रुवरी/बॉटलिंग प्लाण्ट का अनुज्ञापन शुल्क:–

23.1 आसवनी के पी0डी0–2 अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रू0 200/– प्रति किलो लीटर निर्धारित किया जाता है। उक्त अनुज्ञापन शुल्क केवल पेय योग्य मदिरा पर ही देय होगा।

23.2 आबकारी अधिनियम में आसवनी से सम्बन्धित Rules Regulating Distillery के नियम–4 में उल्लिखित रू0 01 लाख की प्रतिभूति को गत वित्तीय वर्ष की आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2019 के द्वारा प्रतिस्थापित रू0 05 लाख के समान तथा Uttar Pradesh Brewery Rules–1961 के नियम–5 में उल्लिखित रू0 20 हजार की प्रतिभूति धनराशि को गत वित्तीय वर्ष की आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2019 के अनुसार प्रतिस्थापित रू0 02 लाख के समान रखा जाता है।

23.3 ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निर्धारित किया जाता है:–

23.3(a) अधिष्ठापित क्षमता 5,000 किलों लीटर तक रू0 01 लाख

23.3(b) अधिष्ठापित क्षमता 5,001 से 10,000 किलो तक रू0 02 लाख

23.3(c) अधिष्ठापित क्षमता 10,000 किलो लीटर से अधिक पर रू0 07.50 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त देय होगी।

23.4 एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रू0 15 लाख न्यूनतम के अधीन रू0 02 प्रति बोतल की दर से निर्धारित किया जाता है।

23.5 एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि रू0 05 लाख निर्धारित की जाती है।

24– ई0एन0ए0/आर0एस0 आयात शुल्क रू0 02 प्रति ए0एल निर्धारित किया जाता है।

25– बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0–3ए एवं एफ0एल0एम0–3 हेतु अनुज्ञापन शुल्क/बॉटलिंग शुल्क:–

25.1 व्हिस्की, ब्राण्डी रम व जिन एवं कम तीव्रता की अल्कोहल ब्रिवरेज की भराई हेतु एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान अनुज्ञापन शुल्क देय होगा।

25.2 एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक की विदेशी मदिरा की भराई हेतु वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 01 लाख के अधीन बाटलिंग फीस राज्य में बिक्री हेतु रू0 10/– प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रू0 3/– प्रति ए0एल0 की दर पर देय होगा।

25.3 एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी में विदेशी मदिरा की भराई पर (बाटलिंग हेतु) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए न्यूनतम रू0 01 लाख के अधीन राज्य में बिक्री हेतु रू0 10/– प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रू0 3/– प्रति ए0एल0 दर पर बाटलिंग शुल्क देय होगा।

25.4 एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रुवरी (यवासवनी) में वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1,25,000/– (रू0 एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के अधीन बियर पर बाटलिंग शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–

क0 सं0	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग शुल्क	एफ0एल0–3 ए हेतु बाटलिंग शुल्क
1	रू0 1.15 प्रति ब0ली0	रू0 1.15 प्रति ब0 ली0

क्रमशः पृष्ठ–13

Scanned with CamScanner

25.5 बीयर के निर्यात पर बाटलिंग/अनुज्ञापन शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–

क0 सं0	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग शुल्क	एफ0एल0–3 ए हेतु बाटलिंग शुल्क
1	रू0 1.07 प्रति ब0ली0	रू0 1.07 प्रति ब0 ली0

25.6 ब्रीजर के निर्यात पर बाटलिंग/अनुज्ञापन शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–

क0 सं0	बाटलिंग शुल्क
01	रू0 1.26 प्रति ब0ली0

26– लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

26.1 विदेशी मदिरा के लेबलों के अनुमोदन के पूर्व धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष रू0 52,000/(रूपये बावन हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

26.2 बीयर/साईडर/कम तीव्रता की एल्कोहलिक बेवरेज के लेबलों के अनुमोदन के लिए धारिता बार प्रति लेबल प्रति वर्ष रू0 35,000/– (रूपये पैतींस हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

26.3 वाईन हेतु 60,000/– रूपये (साठ हजार रूपये) इकाई द्वारा समस्त लेबलों हेतु पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया जाता है।

नोटः–उपरोक्त दरें सिविल तथा सी0एस0डी0 आपूर्ति दोनों पर लागू होगी।

26.4 बॉण्ड अनुज्ञापन के माध्यम से अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन इत्यादि पर न्यूनतम 70मि0मी0 X 35 मि0मी0 साईज का सफेद रंग का स्टीकर चस्पा किया जायेगा, जिस पर Legend शासनादेश संख्याः 434/दिनांक 19.04.2001 के अनुसार मुद्रित किये जायेगे।

26.5 गत् वर्ष स्वीकृत लेबिल के परिवर्तित न होने की दशा में केवल लेबिल पंजीकरण शुल्क जमा कर अवगत कराना होगा तथा उसका उपयोग किया जा सकेगा। परन्तु भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में यदि लेबिल में परिवर्तन आवश्यक हो तो नवीनीकरण मान्य नहीं होगा।

26.6 भविष्य में अनुमोदित कराये जाने वाले मदिरा के लेबिल पर आबकारी नियमों में दी गयी व्यवस्था के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

27–जिलों में दुकान का स्थान, स्थिति व नई दुकानो का सृजन एवं दुकानों का स्थानान्तरण–

27.1 जनपद को बिन्दु संख्या–1.1 में दिये राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारीं को जनपद में दुकानों की संख्या निर्धारित करने एवं नई दुकान सृजित करने का अधिकार होगा।

27.2 फुटकर दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) उत्तर प्रदेश में याथप्रवृत्त दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं समय–समय पर शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा जारी नियमों/निर्देशों के अनुसार रखी जायेगी।

27.3 मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–12164–12166 ऑफ 2016 "स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम के0 बालू एण्ड ए0एन0आर0" में दिनांकः 15.12.2016 एवं 31.03.2017, एस0एल0पी0 सिविल संख्याः 10243 ऑफ 2017 Arrive Safe Society of Chandigarh Verses The Union Of Chandigarh &ANR में पारित निर्णय दिनांकः 11.07.2017 तथा M.A Nos. 470.472/2017/in civil Appeal No (s). 12164-12166/2016/State of Tamil Nadu & Other VS K. Balu & Others/dt. 11.08.2017 में पारित निर्णय के आलोक में दुकानों की स्थिति निर्धारित की जायेगी। यहाँ यह भी उल्लिखित किया जाता है कि राज्य में हरिद्वार तथा ऋषिकेश नगर निगम/नगर निकायों के पुर्नसीमांकन के फलस्वरूप उक्तनगरों में मद्यनिषेध क्षेत्र पूर्व में निर्धारित मद्यनिषेध क्षेत्र के अनुसार ही रहेगा।

27.4 किसी मदिरा दुकान को बन्द/स्थानान्तरित करनाः–

27.4(a) जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जिले की आवश्यतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है, परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा।

27.4(b) यदि जिले की सीमान्तर्गत कोई मदिरा की दुकान किसी एक स्थान से दुसरे स्थान पर नियम संगत रूप से आबकारी अधिनियम, मदिरा दुकानों की संख्या व स्थिति नियमावली 1968 तथा तत्सम्बध में जारी शासनादेशों के अर्न्तगत स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो , तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे, परन्तु निर्णय लेने से पूर्व जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगें की मदिरा दुकान के स्थानान्तरण से किसी अन्य निकटवर्ती मदिरा की दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित क्षेत्र न होने पाये।

जिलाधिकारी के उक्त आदेश से पीडित कोई व्यक्ति आबकारी अधिनियम की धारा–11 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार अपील योजित कर सकता है।

क्रमशः पृष्ठ–14

Scanned with CamScanner

28– मदिरा दुकानों से देशी/विदेशी मदिरा/बीयॅर व वाईन की फुटकर बिक्री की सीमाः–

देशी/विदेशी तथा बीयॅर की फुटकर दुकानों से मदिरा/बीयॅर/वाईन की फुटकर बिक्री की अधिकतम सीमा (स्वंय के वास्तवित उपभोग हेतु) निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क0सं0	मदिरा का प्रकार	मात्रा ब0ली0 में
1	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	09 ब0ली0
2	ओवर सीज मदिरा	06 ब0ली0
3	वाईन	09 ब0ली0
4	बीयॅर	7.80 ब0ली0
5	देशी मदिरा	06 ब0ली0

29–Trace and Track प्रणाली

राज्य में मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियन्त्रण व पारदर्शिता रखने के लिए सम्पूर्ण प्रणाली को Trace and Track आधारित किया जायेगा।

30– नियम–29 में दी गयी व्यवस्था के प्रभावी होने तक होलोग्राम सम्बन्धित आपूर्तक आसवनी के स्तर पर भी लगाये जा सकेंगें। बी0आई0ओ0 ब्राण्ड पर होलोग्राम सम्बन्धित प्रभारी आबकारी निरीक्षक के सम्मुख लगाये जायेंगे।

31– मदिरा के उपभोग के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की जाती है।

32– प्रत्येक आसवनी, ब्रुवरी, बॉटलिंग प्लाण्ट, विन्टनरी, थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2) बॉण्ड अनुज्ञापन (बी0डब्लू0एफ0एल0–2), बार अनुज्ञापन तथा मदिरा की फुटकर दुकानों में IP ADDRESS युक्त CCTV कैमरा लगाये जाने की व्यवस्था की जानी अनिवार्य है, जिससे सम्बन्धित अनुज्ञापन की समस्त गतिविधि पर आयुक्तालय स्थित कन्ट्रोल रूम से नियन्त्रण रखा जा सकेगा।

33– माह अप्रैल, मई व जून में मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी को माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता पड़ती है, तो वह आगामी माहों (माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर) का उठान निर्धारित धनराशि जमा कर अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकता हैं। इसी प्रकार माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर में मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी को माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता पड़ती है तो वह आगामी माहों (माह जनवरी, फरवरी व मार्च) का उठान निर्धारित धनराशि जमा कर अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकता है। माह फरवरी व मार्च हेतु निर्धारित एम0जी0डी0 का पूर्व उठान करने पर निर्धारित एम0जी0डी0, जिसकी मदिरा पूर्व में उठायी जायेगी से सम्बन्धित धनराशि नकद जमा करनी होगी। अग्रिम जमा प्रतिभूति के सापेक्ष किसी भी दशा में अग्रिम निकासी नहीं दी जायेगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर देयता न होने की स्थिति में उपरोक्त कारण से समायोजन होने से रह गयी अग्रिम प्रतिभूतियों को जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञापी को वापस किया जा सकेगा।

नोट– उपरोक्तानुसार माह में निर्धारित मासिक एम0जी0डी0 का अधिकतम 25 प्रतिशत तक आगामी माह का कोटा पूर्व में उठाया जा सकता है। पूर्व में अग्रिम उठान कर लिये जाने के कारण किसी माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित माह में अनुज्ञापी को अतिरिक्त राजस्व जमा कर मदिरा का उठान करना होगा।

34– मदिरा परिवहन करने वाले समस्त वाहनों को GPS/GPRS प्रणाली से संयोजित करना अनिवार्य होगा।

35– वित्तीय वर्ष के मध्य में आबकारी अनुज्ञापनों के संचालन में यदि कोई समस्या आती है, जिसकी व्यवस्था वित्तीय वर्ष में प्रख्यापित नियमावली में न दी गयी हो, तो कार्य के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव वित्त, प्रमुख सचिव/सचिव न्याय एवं आबकारी आयुक्त सदस्य तथा प्रमुख सचिव/सचिव आबकारी सदस्य सचिव होगें। उक्त समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रकरण मा0 आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया जायेगा।

36– उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2020 के नियम इससे पूर्व बनायी गयी किसी अन्य नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगें।

37– अन्य व्यवस्थाएँ वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुरूप यथावत् रहेगी।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्याः 1351 /XXIII/2020/04(01)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।

क्रमशः पृष्ठ–15

Scanned with CamScanner

2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जिला–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 50 प्रतियां, प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड़ देहरादून तथा 50 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़ देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव

Scanned with CamScanner